REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072020-220625 CG-DL-E-22072020-220625

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2121] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2020/ आषाढ़ 30, 1942 No. 2121] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2020/ASADHA 30, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2020

का.आ. 2406(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग

को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के क्रमश: स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा ।

क्र.सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
566	148 एनजी	मध्य प्रदेश राज्य में बदनावर की ओर 3.200 कि.मी. और देवास की ओर 7 कि.मी. के छोटे मार्ग सहित गरोठ उज्जैन के समीप रारा संख्या 148 एन के साथ इसके जंक्शन से शुरू होकर क्षिप्रा पुल (लोहार पिपलिया गांव) के निकटरारा सं. 52 के साथ इसके जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में 4 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में अधिसूचना सं. का. आ. 2163 (अ), दिनांकित 29 जून, 2020 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

> [फा. सं. एनएच-14012/7/2020-पी एंड एम] राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2020

S.O. 2406(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
566	148NG	The highway starting from its junction with NH No. 148N near Garoth Ujjain including spur of 3.200 Km. towards Badnewar and a spur of 7 Km. towards Dewas and terminating at its junction with NH No. 52 near Kshipra Bridge (Village Lohar Piplia) in the State of Madhya Pradesh.

Footnote:- The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 2163 (E), dated 29th June, 2020.

[F. No. NH-14012/7/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.